

R
31/05/2025

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
—रिमाण्ड कार्य आदेश—

पूर्व में रिमाण्ड कार्य आदेश माह जुलाई, 2025 तक के लिए पारित किया गया है। माह जून 2025 में न्यायिक अधिकारीगण के ग्रीष्मावकाश पर होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए माह जून 2025 के दिनों में रिमाण्ड कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किए जाने हेतु निम्नवत संशोधित रिमाण्ड कार्य आदेश पारित किया जाता है:—

1. दिनांक 01.06.2025 से 11.06.2025 तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्री राहुल, न्यायालय सिविल जज सी0डि0(एफ.टी.सी.)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र** द्वारा सम्पादित किया जायेगा।
2. दिनांक 12.06.2025 से 30.06.2025 तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग रिमाण्ड कार्य एवं अवकाश के दिनों में रिमाण्ड कार्य **श्री अमित कुमार—तृतीय, सिविल जज सी0डि0/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र** द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

दिनांक: 31.05.2025

(आलोक यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र
2. सिविल जज सीनियर डिविजन/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
3. सिविल जज सीनियर डिविजन(एफ.टी.सी.)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र
4. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, सोनभद्र
5. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सोनभद्र

दिनांक: 31.05.2025

(आलोक यादव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सोनभद्र

सफाई के लिए
31/05/25